अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण,

1. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के वर्ष 2011 में प्रथम सत्र के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हॅूं । क्योंकि इस सत्र का आयोजन नव वर्ष के आरंभ में किया जा रहा है अतः मैं आपको और आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को नव वर्ष पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हॅूं।

2. मेरी सरकार ने 30 दिसंबर, 2010 को तीन वर्ष पूरे कर लिऐ हैं और इस अवधि में राज्य को समग्र विकास तथा समाज के कमज़ोर एवं दलित वर्गो पर विशेष ध्यान देकर सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित हुआ है । प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य के लोगों से किए सभी वायदों को पूरा किया है और इससे आगे बढ़कर विभिन्न कल्याणकारी नीतियां एवं कार्यक्रम भी आरंभ किए हैं। हमारा प्रयास प्रदेश सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से आम आदमी को लाभान्वित करना है।

3. इन तीन वर्षों में अभूतपूर्व उपलब्धियां हुई हैं और यह हम सभी के लिए गौरव की बात है कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2010 में इंडिया टुडे पत्रिका द्वारा किए गए ‘स्टेट ऑफ स्टेट्स’ सर्वेक्षण में शिक्षा, शासन, निवेश, मैक्रो इकोनॉमी, उपभोक्ता बाज़ार और अधोसंरचना विकास के क्षेत्रों में श्रेश्टता हेतु ‘बैस्ट बिग स्टेट’ का पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका एग्रीकल्चर टुडे द्वारा करवाए गए एक अन्य सर्वेक्षण में, हिमाचल प्रदेश को कृषि विकास क्षेत्र में उतकृश्ट नीतिगत पहल एवं कार्य निश्पादन के लिए सर्वोतम राज्य के रूप में आंका गया और **‘स्टेट एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड–2010’** से नवाजा गया है। इस अवार्ड की चयन समिति के अध्यक्ष हरित क्रान्ति के जनक एवं रैमन मेगासेसे पुरस्कार विजेता डा. एम.एस. स्वामीनाथन थे।

4. भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भी राज्य को बीस सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शत–प्रतिशत अंक प्रदान कर पहले स्थान पर आंका है, जो कि प्रदेष सरकार की समाज के

कमज़ोर वर्गों, गरीब एवं उपेक्षित लोगों के सामाजिक–आर्थिक विकास तथा विकास को बुनियादी स्तर तक ले जाने की प्रतिबद्वता दर्शाता है।

5. सी.एन.बी.सी आवाज़ इलैक्ट्रॉनिक चैनल द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश **'सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गंतव्य'** के रूप में उभरा है। सी.एन.बी.सी. ने हिमाचल प्रदेश को **'श्रेष्ठ पहाड़ी गंतव्य'** का पुरस्कार प्रदान किया है। आउटलुक ट्रैवलर ने एक सर्वेक्षण के आधार पर हिमाचल प्रदेश को तीन पुरस्कार घोशित किए हैं जिनमें मनाली को **'बैस्ट हिल डेस्टिनेशन',** तथा प्रदेश को **'बैस्ट समर डेस्टिनेशन'** और हिमाचल प्रदेष को **'बैस्ट ऐडवैंचर डेस्टिनेशन'** विर्निणित किया है ।

6. आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सी0एन0एन0 आई0बी0एन0–7 न्यूज चैनल तथा आउटलुक मैगज़ीन द्वारा गत 23 फरवरी,2011 को दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह जिसकी अध्यक्षता भारत के उपराश्ट्रपति श्री हामिद अंसारी द्वारा की गई, में देषव्यापी सर्वेक्षण के आधार पर हिमाचल प्रदेष को षिक्षा तथा गरीबी उन्मूलन में सर्वश्रेश्ठ प्रदर्षन के लिए डायमण्ड स्टेट का अवार्ड दिया गया है। हिमाचल प्रदेष को **'बेस्ट स्टेट'** भी आंका गया जो कि इस सर्वेक्षण के सषक्त मापदण्ड एवम् विभिन्न क्षेत्रों से जुडे देष के प्रतिश्ठित विभुतिओं की जूरी के विनिणर्य पर आधारित रहा ।

7. मेरी सरकार उपेक्षित एवं समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के प्रति कृतसंकल्प है। सरकार ने समाज के इन वर्गों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिए हैं। प्रदेश में 2,67,282 व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जिस पर 107.30 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। **सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना** के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने व्यक्तिगत वार्षिक आय सीमा को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 9 हजार रुपये तथा परिवार के अन्य सदस्यों की वार्षिक आय सीमा को 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये किया है। इसके अतिरिक्त, **'एकल नारी'** अर्थात 45 वर्ष से अधिक आयु की अकेली महिला, को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में लाया गया है।

8. प्रदेश सरकार ने कन्याओं के हित में **'बेटी है अनमोल'** योजना आरंभ की है, जिसके अंतर्गत बी0पी0एल0 परिवारों में दो कन्याओं के जन्म तक जन्मोपरांत प्रति कन्या मु0 5100 रुपये अनुदान राषी प्रदान की जा रही है। यह राशि डाकघर अथवा बैंक में जमा की जाती है, जिसे 18 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद कन्या द्वारा निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसी कन्याओं को प्रथम कक्षा से दस जमा दो कक्षा तक 300 रुपये से 1500 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान 152 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति उप–योजना के अंतर्गत इस वित्त वर्ष 742 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से सबंधित निम्न आय वाले परिवारों को गृह निर्माण के लिए उपदान की सुविधा प्रदान कर रही है और इस वित्त वर्ष के दौरान 3760 घरों का निर्माण किया जा रहा है जिसके लिए 15.74 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नये घरों के निर्माण के लिए उपदान को 38,500 रुपये से बढ़ाकर 48,500 रुपये किया गया है।

9. मेरी सरकार कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है, ताकि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने के साथ–साथ ग्रामीण आर्थिकी में सुधार लाया जा सके। प्रदेश में **'पंडित दीनदयाल किसान–बागवान समृद्धि योजना'** को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। किसानों को आवश्यक तकनीकी सहयोग, कृशि सामग्री एवं विपणन अधोसंरचना उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि वे इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें। इससे ग्रामीण युवाओं को कृषि रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में भी सहायता मिली है। मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन के अंतर्गत किसानों को करीब 3.5 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। आवश्यक उपकरण एवं विशेषज्ञ उपलब्ध करवाकर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया है। जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 3.5 लाख केंचुआ खाद इकाइयां स्थापित की गई हैं और अभी 21,000 किसानों को जैविक खेती के लिए पंजीकृत किया जा चुका है। बिलासपुर जिले के सदर खंड में टमाटर के लिए पॉयलट आधार पर मौसम आधारित कृषि बीमा योजना को लागू किया गया है।

10. मेरी सरकार ने बागवानी विकास गतिविधियों को सुदृढ़ करके अधिकतम सकारात्मकता के साथ बागवानों के खेतों तक पहुँचाया है। बागवानी क्षेत्र इस वर्ष बढ़कर 2.08 लाख हैक्टेयर हो गया है तथा राज्य में 10.24 लाख मीट्रिक टन रिकार्ड फल उत्पादन किया गया है। 682 हैक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती की खेती की जा रही है जिससे 42 करोड़ रुपये का वार्शिक पुष्प उत्पादन हो रहा है । वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य में बागवानी शोध एवं विकास कार्यक्रमों के लिए 85 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। बागवानों को निःशुल्क विस्तार सेवाएं एवं उपदान पर उच्च गुणवता युक्त उद्यान सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। बागवानो को उनके उत्पाद का बाजार में लाभकारी मूल्य दिलवाने के उददेष्य से **मण्डी मध्यस्थता योजना** के अंतर्गत सेब, आम एवं नीम्बू प्रजातीय फलों का प्रापण किया जा रहा है और वर्ष 2010–11 में 1.11 लाख मीट्रिक टन सेब का रिकार्ड प्रापण किया गया। बागवानी के एकीकृत विकास हेतु राज्य योजना की स्कीमों को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, **'पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन'** तथा **'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना'** द्वारा अनुपूरित किया जा रहा है। बागवानी मिशन के अंतर्गत अभी तक 1,08,500 किसानों को लाभान्वित किया गया है।

11. सेब की उत्पादकता बढ़ाने के लिए **'ऐपल रिजुविनेषन प्रोजेक्ट'** आरंभ किया गया है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2010–11के दौरान500 हैक्टेयर क्षेत्र हेतु 3.50 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है। सेब व आम की फसलों के लिए मौसम आधारित कृषि बीमा योजना को राज्य में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए **ओला रोधक प्रणाली** को शिमला जिले के तीन चिन्हित स्थलों, कठासु, देओरीघाट व बड़ेयोंघाट, पर पॉयलट आधार पर स्थापित किया गया है।

12. पशुपालन गतिविधियां राज्य की कृषि आर्थिकी का अभिभाज्य अंग है । 2137 पशु संस्थानों के माध्यम से राज्य के पशुपालकों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस वर्ष **'मुख्यमंत्री अरोग्य पशुधन योजना'** के अंतर्गत 187 नये पशु औषधालय खोले गये हैं। **'दूध गंगा योजना'** में तरमीम ला कर किसानों को व्यक्तिगत अथवा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत गाय खरीदने अथवा

दुग्ध उत्पादन उपकरणो तथा पशु क्लीनिक इत्यादि स्थापित करने के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को 25 प्रतिशत उपदान तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 33.33 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है। प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी कीमतें उपलब्ध करवाने के लिए 208.38 लाख रुपये की लागत से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के लिए कोल्डचेन सुविधाएं सुदृढ़ की गई हैं। पिछले तीन वर्शो में वर्तमान सरकार ने दूध की खरीद दरें 10.80 रुपये से बढ़ाकर 15.80 रुपये प्रति लीटर की हैं जिससे कृषकों की आय बढ़ी है और ग्रामीण आर्थिकी सुदृढ़ हुई है ।

13. राज्य में भेड़, बकरी तथा खरगोश पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में अक्तूबर, 2010 से **'भेड़पालक समृद्धि योजना'** आरंभ की गई है। मंडी, कांगड़ा तथा चम्बा ज़िलों में भेड़ और बकरी तथा कुल्लू व शिमला ज़िलों में खरगोश इकाइयां स्थापित करने के लिए किसानों को व्यक्तिगत अथवा स्वंय सहायता समूहों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से 33.33 प्रतिशत उपदान पर ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है। भेड़पालकों को ऊन की लाभकारी कीमतें दिलवाने के लिए प्रदेश सरकार ऊन पर समर्थन मूल्य उपलब्ध करवा रही है। इसके अतिरिक्त, प्रदेष सरकार, हिमाचल प्रदेष राज्य ऊन प्रसंघ को विपणन विकास सहायता योजना के अंतर्गत कुल प्रापण मूल्य पर 15 प्रतिषत अनुदान हैंडलिंग चार्जिज के रूप में भी उपलब्ध करवा रहा है।

14. मेरी सरकार राज्य के लोगों को घर–द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के लोगों को निःशुल्क आपात चिकित्सा सेवाएं एवं परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने 25 दिसम्बर,2010 को राज्य के सात जिलों में महत्वाकांक्षी **'अटल स्वास्थ्य सेवा'** आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन लगभग 1800 दूरभाश संदेष प्राप्त हो रहे हैं तथा लगभग 180 व्यक्तियों, जिनमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं, को आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस सुविधा से शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु अनुपात में कमी आने की संभावना है तथा इससे राज्य में समग्र स्वास्थ्य सुरक्षा भी सुदृढ़ होगी।

15. मेरी सरकार ने मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए **'मातृ सेवा योजना'** आरंभ की है जिसके परिणामस्वरूप संस्थानगत

प्रसूति में वृद्धि हुई है। प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सामान्य एवं शल्य प्रसूति के लिए सभी शुल्क समाप्त कर दिए हैं। किसी भी जटिल स्वास्थ्य समस्या के मामले में उच्च स्तर के स्वास्थ्य संस्थान तक परिवहन सुविधा का प्रबन्ध व व्यय प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा । दवाइयां एवं अन्य सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं तथा माता एवं शिशु को अस्पताल से वापिस घर तक ले जाने के लिए परिवहन सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

16. प्रदेश सरकार ने **'मुस्कान'** नामक परियोजना कार्यान्वित की है, जिसके अंतर्गत 65 वर्ष व इससे अधिक आयु के व्यक्तियों तथा बी0पी0एल0 परिवारों को निःशुल्क डेंचर लगाने की सुविधा दी जा रही है। यह हम सभी के लिए गौरव की बात है कि हमारे राज्य को **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकरण के कार्य निश्पादन हेतु श्रेष्ठ राज्य** आंका गया है। हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 2,35,131 बी0पी0एल0 परिवारों का पंजीकरण किया है जिसके अंतर्गत सामान्य उपचार के लिए 30 हजार रुपये तथा गम्भीर उपचार के लिए 1.75 लाख रुपये का प्रावधान है । मेरी सरकार ने **'मुख्यमंत्री विद्यार्थी स्वास्थ्य कार्यक्रम'** आरंभ किया है, जिसके अंतर्गत चिकित्सकों एवं अन्य पैरा मैडिकल स्टाफ का एक दल प्रतिवर्ष प्रत्येक स्कूल समूह का दौरा करेगा। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 3 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

17. प्रदेश सरकार गत वर्ष मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर सीटों को 39 से बढ़ाकर 70 करने में सफल हुई है। इन प्रयासों के साथ, इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज में अब लगभग सभी विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। आईजीएमसी, शिमला में 64 'स्लाइस सीटी स्कैन' सुविधा संचालित कर दी गई है । एक नेत्र बैंक स्थापित किया गया है तथा 'टेली–कोबाल्ट यूनिट' को भी परिचालित कर दिया गया है। नर्सिंग शिक्षा में बेहतरी के लिए हमने गत वर्ष आईजीएमसी में नर्सिंग में डिग्री कोर्स आरंभ किया है । डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मैडिकल कॉलेज टाण्डा में सुविधाएं बढ़ाने हेतु 200 बिस्तरों का सुपर स्पेशियलिटि अस्पताल स्थापित किया जा रहा है जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध होगी। प्रदेश सरकार ने चिकित्सकों के और पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की है तथा भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

18. प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए मेरी सरकार ने आयुर्वेद विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 155 पद सृजित किए हैं जिनमें से विभाग द्वारा 66 पद बैच आधार पर पहले ही भरे जा चुके हैं तथा 12 पद शीघ्र ही भर लिये जाएंगे। शेष 77 पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जा रहे हैं। विभाग ने 30 आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों एवं अन्य पैरा मैडिकल स्टाफ की नियुक्तियां की है। जोगिन्द्रनगर में आयुर्वेदिक फार्मास्युटिकल साईंस कॉलेज आरंभ किया गया है, जहां आयुर्वेद में बी. फार्मा आयुर्वेद के चार वर्षीय डिग्री कोर्स के लिए प्रति वर्ष 30 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा । विभाग द्वारा पपरोला में 'रिजनल सैन्टर फार एक्सेलैंस इन जिरिएटिक हैल्थ केयर' तथा जोगिन्द्रनगर में 'सैन्टर फार एक्सेलैंस इन द्रव्यगुणा एण्ड मैडिसिनल पलांटस' स्थापित किये जा रहे हैं। इस वित्त वर्ष में विभाग द्वारा 13 आयुर्वेद भवनों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया हैं।

19. मेरी सरकार ने स्वच्छ पेयजल तथा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस वित्त वर्ष के दौरान 5000 बस्तियों को स्वच्छ पेयजल सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से जनवरी, 2011 तक 3475 बस्तियों मे यह कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, 1794 हैंड पम्प स्थापित किए गए हैं। जल आपूर्ति के संबध में आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग के माध्यम से एक सर्वेक्षण करवाया गया जिसके अनुसार प्रदेष में 84 प्रतिशत उपभोक्ताओं को नल के माध्यम से पेयजल प्राप्त हो रहा है। मेरी सरकार ने राज्य जल प्रबंधन बोर्ड का गठन किया है जो जल संसाधनों के दीर्घकालीन उपयोग हेतु नीति तैयार करेगा तथा भूमि एवं जल प्रबंधन से जुडे विभिन्न सरकारी विभागों के प्रयासों में समन्वय करेगा । मेरी सरकार सतत् संग्रहण उपायों, विशेषकर वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं पर विषेश ध्यान दे रही है । सभी सरकारी भवनों, संस्थागत भवनों, स्कूलों, होटलों और औद्योगिक इकाइयों की छतों पर वर्षा जल संग्रहण ढांचे निर्मित करने होंगे ताकि संग्रहित जल का प्रयोग गैर घरेलू कार्यों में किया जा सके। मेरी सरकार ने जल संरक्षण में श्रेष्ठ कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों, ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, व्यक्तियों, संस्थानों और निगमित क्षेत्रों के लिए 'मुख्यमंत्री वर्षा जल संग्रहण पुरस्कार' योजना आरंभ की है।

20. सिंचाई क्षेत्र में 6500 हैक्टेयर के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 3532 हैक्टेयर को सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है और इस प्रकार 3.35 लाख हैक्टयर कृषि योग्य क्षेत्र में से 2.39 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को यह सुविधा प्रदान की जा चुकी है। इस प्रयोजन हेतु चालू वित्त वर्ष में 252 करोड़ रुपये का आंबटन किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऊना ज़िले में स्वां नदी तटीकरण और सिरमौर ज़िले में बाता नदी तटीकरण के लिए 155 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। 43 नगरों की जलापूर्ति योजनाओं का संवर्द्धन किया गया है। प्रदेश के 24 नगरों को मल निकासी सुविधा प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है।

21. मत्स्य विकास को प्राथमिकता दी जा रही है जिसमें विषेशकर नए बीज फार्मों का निर्माण और वर्तमान फार्मों में मछली पालन क्षेत्र बृद्धि, निजी क्षेत्र में वणिज्यिक ट्राउट मछली पालान के विस्तार तथा खुले जलाषयों में निरन्तर मत्स्य उत्पादन बढ़ौतरी के लिये बीज संग्रहण को महत्व दिया जा रहा है। राज्य द्वारा 7118 मछुवारों को न केवल प्रीमियममुक्त बीमा छत्र उपलब्ध करवाया गया है, बल्कि इस वित्त वर्ष के दौरान इसकी सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये भी की गई है। **बन्द सीजन सहायता व जोखिम निधि** जैसी मछुवारा कल्याण योजनायों को जलाश्य मछुवारों के कल्याण हेतु जारी रखा गया तथा 24.30 लाख रुपये उन्हे उपलब्ध करवाए गए हैं। मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियों में प्रशिक्षण इस योजना का अभिन्न अंग है। दिसंबर, 2010 तक 180 मत्स्य किसानों एवं 1235 मछुवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

22. हिमाचल प्रदेश को 'हर्बल राज्य' बनाने के लिए 3 अगस्त, 2008 को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम **'जन–जन संजीवनी वन अभियान'** का षुभारम्भ किया गया। सरकार ने तीन नई पौधरोपण योजनाएं– **'सांझा वन–संजीवनी वन'**, **'अपना वन अपना धन'** तथा **'पीपल–बरगद पौधरोपण'** भी आरंभ की हैं जिनमें वरिष्ठ नागरिकों को शामिल कर जागरुकता अभियान चलाया गया। मनरेगा के अंतर्गत एक नई योजना **'वन सरोवर'** कार्यान्वित की जा रही है ताकि भूमि एवं जल का संरक्षण, भू–जल का पुर्नस्थापन कर नमी बढाना, वनों की आग पर नियंत्रण तथा वन्य जीवों एवम् मवेषियों को पेयजल उपलब्ध हो सके। इस वर्श वन अग्नि से प्रभावित वन क्षेत्र सिर्फ 2082.55

हैकटैयर रहा जबकि गत वर्ष यह 24849.52 हैक्टेयर था । वन भूमि में अतिक्रमण की रोकथाम हेतु अभियान में तेजी लाने के लिए शिमला, रामपुर व कुल्लू में तीन नए वन मंडल सृजित किये गए हैं ।

23. हमने वन अपराधियों को प्रभावी ढ़ंग से रोकने, पकड़ने एवं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए **वन थाने** स्थापित किए हैं। प्रदेश में 17 वन थाने स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है जिनमें से 10 वन थानों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। बंदरों की संख्या पर नियंत्रण पाने के लिए शिमला के टुटीकंडी, हमीरपुर जिले के सस्तर तथा कांगड़ा जिले के गोपालपुर में बंदर नसबंदी की प्रक्रिया प्रगति पर है। चौथा बंदर नसंबदी केंद्र ऊना में इस वर्श मार्च तक आरंभ होने की संभावना है। वन्यप्राणी षरण्यों एवं इसके आसपास रहने वाले लोगों की समस्याओं के समाधान हेतु षरण्य क्षेत्रों का युक्तिकरण प्रगति पर है।

24. हिमाचल प्रदेश देश का पहला 'कार्बन न्यूट्रल' राज्य बनने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाने एवं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए **मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना** के अंतर्गत विश्व बैंक के मार्गदर्शन के अनुरूप एक **बायोकार्बन उप–परियोजना** कार्यान्वित की जा रही है। गत तीन वर्षों के दौरान इस परियोजना के अंतर्गत पौधरोपण, भूमि एवं जल संरक्षण, ग्रामीण अजीविका तथा ढाचां गत विकास जैसे विभिन्न विकास गतिविधियों पर 117.37 करोड़ रुपये व्यय किए गए। इस वर्ष कम्पनसेटरी एफोरेस्टेसन, कैचमैन्ट एरिया ट्रीटमैंट तथा बन्यप्राणी संरक्षण इत्यादि गतिविधियों हेतु राज्य क्षेत्र में 42.17 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

25. मेरी सरकार अनुसूचित जन जातियों के तीव्र आर्थिक विकास के लिए कृतसंकल्प है जिसके लिये राज्य की वार्षिक योजना का 9 प्रतिषत भाग जनजातीय उप–योजना के कार्यन्वयन हेतु प्रावधान किया गया है । शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न प्रोत्साहन, जैसे कि निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, दसवीं तक निःशुल्क शिक्षा, दसवीं व दसवीं के बाद छात्रवृत्तियां, ठाकुर सेन नेगी छात्रवृत्ति, एम.फिल एवं पी.एच.डी विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप तथा पूर्व परीक्षा अनुषिक्षण आदि प्रदान किए जा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध करवाने के

लिए 11.55 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 446 विद्यार्थियों की क्षमता वाले सात छात्रावास निर्माणाधीन हैं। निचार में 15.63 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल भी निर्माणाधीन है।

26. सड़क निर्माण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकतओं में से एक है। प्रदेश के 17,449 जनगणना गांवों में से 9,579 गांवों को पहले ही वाहन योग्य मार्ग से जोड़ा जा चुका है। वर्ष 2010–11 के दौरान 413 किलोमीटर नए वाहन योग्य तथा 14 किलोमीटर लम्बे जीप योग्य मार्गों का निर्माण किया गया है। 34 पुलों का निर्माण किया गया और 38 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। इस अवधि के दौरान 2000 किलोमीटर के प्रस्तावित लक्ष्य के मुकाबले अब तक 1577 किलोमीटर लम्बे मार्ग पर 'रिन्यूनल कोट' किया जा चुका है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अब तक 8973 किलोमीटर की कुल सड़क लम्बाई के 1814 सड़क कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है जिसके अन्तर्गत 1905 करोड़ रुपये लागत से 3870 बस्तियों को सड़क से जोडी जाएगी। अभी तक 1269 कार्य पूरे किए जा चुके हैं तथा 1151 करोड़ रुपये व्यय कर 2986 बस्तियों को सड़क सुविधा प्रदान की जा चुकी है। शेष बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ने के प्रयास जारी हैं।

27. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य मार्गों एवम् ग्रमीण सर्म्पक मार्गो के स्तरोन्नयन हेतु 3105 किलोमीटर लम्बी सड़कों के 266 सड़क प्रस्तावों पर 534 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की मंजूरी भी दी है। 331 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों के 162 स्तरोन्नयन कार्य पूरे किए जा चुके हैं तथा 2072 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया गया है। इस वित्त वर्श में दिसंबर, 2010 तक सड़कों के नये निमार्ण और स्तरोन्नयन पर 102 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

28. प्रदेश सरकार के प्रयासों से राज्य के लिये दो नए राष्ट्रीय उच्च मार्ग स्वीकृत हुए हैं जिससे हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्गों की कुल लम्बाई 1247 किलोमीटर से बढ़कर 1458 किलोमीटर हो जायेगी । भारत सरकार ने इस वित्त वर्ष के दौरान राज्य के लिये पांच नए राष्ट्रीय उच्च मार्गों की सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान की है। राज्य में 3243 ग्राम पंचायतों में से 270 पंचायतों को अभी भी वाहन योग्य सडको से जोड़ा जाना

बाकी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, भारत निर्माण, नाबार्ड और राज्य संसाधनों से 235 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रगति पर है। शेष 35 पंचायतों में भी सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान प्रदेष को सड़क एवं पुल परियोजनाओं, तथा लघु सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए नाबार्ड से 400 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 403 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं। इससे राज्य में ग्रामीण अधोसंरचना के विकास में सहायता मिलेगी।

29. इस वित्त वर्ष के दौरान कर की दरों के युक्तिकरण, विभिन्न स्तर के कर प्राधिकरियों के सुप्रवहन, टैक्स बैरियर एवं उड़नदस्तों का नवीनीकरण जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं। लगभग 75 प्रतिशत डीलरों को पंजीकरण के साथ 'कर पहचान संख्या' जारी कर दी गई है तथा अन्य को मार्च, 2011 तक जारी करने के प्रयास जारी हैं ताकि व्यापारियों को अंतर्राज्यीय व्यापार में सुविधा एवं बेहतर कर प्रशासन उपलब्ध हो । आबकारी एवं कराधान विभाग ने अपनी स्वतंत्र वैब पोर्टल भी आरंभ किया है जो राज्य के व्यापारियों एवं व्यवसायियों को समर्पित है। औद्योगिक एवं व्यापारिक समुदायों की सुविधा के लिए ई–पेमेंट प्रक्रिया भी आरंभ की गई है ताकि वे देश के किसी भी हिस्से से किसी भी समय इंटरनेट के माध्यम से कर अदायगी कर सकें।

30. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रह रहे 200 ऐसे आवासहीन व्यक्तियों को क्रमशः दो एवं एक बिस्वा भूमि आवंटित की गई है जिनके पास गृह निर्माण के लिए कोई भूमि नहीं थी। हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 में संशोधन किया गया है और यदि शिक्षण संस्थानों को पट्टे पर भूमि दी जाती है तो 10 प्रतिशत सीटें बी0पी0एल0 परिवारों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की जाएंगी जिन्हें निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी और उनसे ट्यूशन फीस नहीं ली जाऐगी।

31. मेरी सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का **'शिक्षा हब'** बनाने के लिए राज्य में श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान खोलने के निश्ठापूर्वक प्रयास कर रही है। गत तीन वर्षों में प्रदेष में एक राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय और निजि क्षेत्र में दस विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, आई.आई.टी. मंडी, और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

कांगड़ा स्थापित किए गए हैं। राज्य क्षेत्र में एक इंजीनियरिंग कॉलेज तथा ई. एस.आई.सी द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।

32. हिमाचल प्रदेश ने प्रारम्भिक स्तर पर स्कूल उपलब्धता में सुधार एवं स्कूलों में बच्चों के ठहराव में उल्लेखनीय प्रगति की है। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पंजीकरण में 99.7 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल किया गया है। राज्य के प्रारम्भिक स्कूलों में **'आहार'** एवं **'समृद्धि'** कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया है ताकि शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके। प्रदेश सरकार ने बड़ी संख्या में नए शिक्षकों की भर्ती की है तथा सेवानिवृत्त अध्यापकों को शैक्षणिक सत्र समाप्त होने तक पुनः नियुक्त करने के लिए नई योजना आरंभ की है, ताकि स्कूलों में अध्यापकों की रिक्तियों के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। प्रदेश सरकार ने प्रारम्भिक स्कूलों में 1000 सी एंड वी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है।

33. हिमाचल प्रदेश देश के ऐसे प्रथम राज्यों में एक है जिसने बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 का प्रभावी कार्यान्वयन किया है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चम्बा, मंडी, शिमला और सिरमौर ज़िलों के आठ पिछड़ों खंडों में लडकियों की 'प्रारम्भिक स्तर पर षिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम' को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। पहली से आठवीं कक्षा तक सभी लड़कियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रहीं हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत विशेष जरूरत वाले 19,248 चिन्हित बच्चों को प्रारम्भिक स्कूल प्रणाली में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

34. मेरी सरकार ने सैनिकों से संबंधित मामलों के समाधान के लिए अलग सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य के 53 भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को हि.प्र भूतपूर्व सैनिक रोज़गार प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रदेश तथा केंद्रीय सेवाओं में रोज़गार उपलब्ध करवाया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को 7.15 लाख रुपये की छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं। भूतपूर्व सैनिकों एवं सेवारत सैनिकों की बेटियों एवं पत्नियों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों पर 7.41 लाख रुपये

व्यय किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम ने भूतपूर्व सैनिकों को मार्जिन मनी ऋण के तौर पर 8.32 लाख रुपये वितरित किए हैं। निगम ने 2002 भूतपूर्व सैनिकों को प्रदेष में रोज़गार उपल्ब्ध करवाया है ।

35. प्रदेश में लगभग 4591 सहकारी सभायें कार्यरत हैं जिनकी सदस्यता 14.2 लाख है। वर्ष 2010–11 के दौरान एन.सी.डी.सी. द्वारा हिमफैड को 20 करोड़ रुपये और लाहौल आलू उत्पादक सहकारी विपणन समिति को दो करोड़ रुपये की मार्जिन मनी की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई । एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के दूसरे चरण में एन.सी.डी.सी. द्वारा हमीरपुर, बिलासपुर व सिरमौर ज़िलों के लिए कुल लागत 35.87 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है ताकि इन ज़िलों में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ किया जा सके। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2012 की अवधि तक हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड के हक में 300 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी को बढ़ाया है। राज्य के सहकारी बैंक ने किसानों को 7410 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये है । इन कार्डधारकों को 3 लाख रुपये तक 7 प्रतिशत की दर से और 10 लाख रुपये तक 9 प्रतिषत व्याज पर मु0 92.61 करोड़ ऋण दिये गये है। ऋण की अदायगी नियमित करने पर 2 प्रतिशत उपदान दिया जायेगा । सहकारी बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित महत्वाकांक्षी परियोजनाओं **'पंडित दीन दयाल किसान बागवान समृद्धि योजना'** और **'दूध गंगा परियोजना'** के अंतर्गत किसानों को निधि सहायता प्रदान कर रहे हैं।

36. राज्य सरकार प्रदेष के सभी परिवारों को 4561 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपदानित दरों पर तीन दालें, नमक, रिफाइंड और सरसों का तेल उपलब्ध करवा रही है ताकि आम आदमी को बढ़ती कीमतों के दबाव से बचाया जा सके। सरकार ने गत वर्ष उपभोक्ताओं को उपदानित राषन उपलब्ध करवाने में 110 करोड़ रुपये खर्च किये । किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य दिलाने तथा उपभोक्तओं को भी उचित दाम पर ताजे उत्पाद मिलने के उद्वेष्य से 'जनता मण्डियों' का आयोजन किया जा रहा है ।

37. मेरी सरकार ने पारदर्शिता लाने तथा जन समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए वर्ष 2008 में वैब आधारित **ई–समाधान प्रणाली आरंभ** की।

इस प्रणाली के अंतर्गत शिकायतकर्ता अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है और इसके निपटारे की प्रक्रिया का अनुश्रवण कर सकता है। वर्तमान वर्ष में इस प्रणाली के माध्यम से हजारों शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। आम जनता की सुविधा के लिए सरकार ने सभी उपायुक्त कार्यालयों में **'सुगम केंद्र'** स्थापित किए हैं। आम जनता की सुविधा के लिए **'प्रशासन जनता के द्वार'** कार्यक्रम आरंभ किया गया है जहां माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्री वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय स्तर की बैठकों में जन शिकायतें सुनते हैं और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करते है । सभी विभागों में पृथक् महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं जिसकी मुखिया महिला अधिकारी को बनाया गया है। जनवरी, 2011 तक ई–समाधान के माध्यम से 13,282 शिकायतें और 6671 मांगें प्राप्त हुईं जिनमें से 12,183 शिकायतें अर्थात् 91.72 प्रतिशत और 4773 मांगे अर्थात् 71.70 प्रतिशत का संबंधित विभागों द्वारा निपटारा किया गया। मेरी सरकार ने राज्य, ज़िला तथा उप–मंडल स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन भी किया है। शिकायतों के निपटारे के लिए सभी विभागों ने ज़िला, उप–मंडल, तहसील और खंड स्तर पर **'शिकायत निवारण प्रकोष्ठ'** गठित किए हैं और संबंधित कार्यालय प्रभारी को इस कार्य का उत्तरदायी बनाया गया है।

38. हिमाचल प्रदेश में अपार जल विद्युत क्षमता उपलब्ध है। प्रदेश में लगभग 23,560 मैगावाट जल विद्युत क्षमता आंकी गई है जिसमें से अभी तक केवल 6673 मैगावाट क्षमता का ही दोहन किया जा सका है। सरकार ने ऊर्जा विकास के लिए बहु–उद्देषीय नीति अपनाई है जिसके अन्तर्गत यह कार्य राज्य क्षेत्र, केन्द्रीय एवं सयुंक्त क्षेत्र और निजी क्षेत्र के माध्यम से किया जा रहा है। अभी तक पांच मैगावाट से अधिक क्षमता की 77 परियोजनाएं, जिनकी कुल क्षमता 6266 मैगावाट है, निजी क्षेत्र में आवंटित की गई हैं। केन्द्र सरकार ने 'सौर ऊर्जा शहर विकास कार्यक्रम' के तहत शिमला तथा हमीरपुर शहरों को सौर ऊर्जा शहरों के रूप में विकसित करने की स्वीकृति दी है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय ने डा.वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

39. परिवहन विभाग ने अतिभारण को रोकने के लिये प्रदेष के प्रवेष स्थानों पर 9 धर्मकांटे प्रचालित किये हैं। राज्य के युवाओं को उनके जिलों में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में 144 चालक प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किए गए हैं। परिवहन विभाग तथा पंजीकरण एवं लाइसैंसिंग प्राधिकरण कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है ताकि समर्पित साफ्टवेयर के माध्यम से जनता को बेहतर एवं समयबद्ध सेवाएं प्रदान की जा सकें। सड़क सुरक्षा में जन सहभागिता सुनिश्चित बनाने तथा जन शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग ने पुलिस की सहायता से ऑनलाइन एस.एम.एस. सेवा आरम्भ की है ताकि नषेबाज चालक और अतिभारण इत्यादि की शिकायतें आम जनता दूरभाष पर कर सकें। अन्य श्रेणियों को रियायती यात्रा उपलब्ध करवाने के साथ–साथ सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को भी रक्षा बंधन एवं भैया दूज की तर्ज पर ईद व बकरीद के अवसर पर राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में वर्ष 2007–08 और 2008–09 में न्यूनतम दुर्घटनाओं के लिए परिवहन मंत्री की ट्राफी और 1.50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिला है ।

40. मेरी सरकार ने राज्य में समुचित पर्यावरण मित्र एवं सतत् औद्योगिकीकरण को प्रमुखता प्रदान कर रही है। नवम्बर, 2010 के अन्त तक प्रदेश में 460 मध्यम एवम् बड़ी इकाइयां तथा 36932 लघु इकाइयां कार्यशील थीं जिनमें 12648 करोड़ रूपये का निवेश और 2.49 लाख लोगों को रोजगार मिला है। जनवरी, 2003 से मार्च 2010 तक विशेष औद्योगिक पैकेज तथा उसके उपरान्त नवम्बर, 2010 तक राज्य सरकार के प्रयासों से 1014 मध्यम एवं बड़ी औद्योगिक इकाइयों, 12954 लघु औद्योगिक इकाइयों तथा 403 विस्तार परियोजनायें जिनमें 43286 करोड़ रूपये संचित निवेष तथा करीब 5 लाख रोजगार देने का अनुमान है, को पंजीकृत तथा अनुमोदित किया गया । मेरी सरकार ने विशेष औद्योगिक पैकेज की अवधि को मार्च 2013 तक बहाल करने के प्रयासान्तरगत विधान सभा में प्रस्ताव पारित करवाया। सरकार इस पैकेज को मार्च, 2020 तक बढ़ाने के भरसक प्रयास कर रही है।

41. मेरी सरकार राज्य में पर्यटन विकास को प्रोत्साहित करने के प्रति कृत संकल्प है। राज्य सरकार साहसिक खेल, धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन और इको पर्यटन इत्यादि को बढ़ावा दे रही है। वर्ष 2010 में राज्य में लगभग 1.3 करोड़ पर्यटक आए और गत वर्ष की तुलना में 16 से 17 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। राज्य में पिछले वर्श 4.5 लाख विदेशी पर्यटक भी आए ।

42. मेरी सरकार ने **'हर गांव की कहानी'** योजना आरम्भ की है जिसमें स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करते हुये कहानियां,नीति कथायें, दन्तकथायें और मनोहर लोकगाथायें प्रकाशित की जा रही हैं ताकि इनमें वर्णित स्थानों में पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा सके। एशियन विकास बैंक ने प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना विकास के लिए 429 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। हमने **'अविस्मरणीय हिमाचल'** शीर्षक के अन्तर्गत आकर्षक पर्यटक स्थल के रूप में **'ब्रांड हिमाचल'** की स्थापना की है। राज्य पर्यटन विभाग ने **'हर घर कुछ कहता है'** और **'अनफोरगेटबल हिमाचल'** के नाम से दो कॉफी टेबल पुस्तकें प्रकाशित की हैं ताकि प्रदेश के बारे में प्रचार कर पर्यटकों को राज्य में आने के लिए लुभाया जा सके। प्रदेश की मौसमी अवधारणायों को समाप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं तथा पर्यटन उत्पादों का विविधिकरण किया गया है ताकि वर्ष भर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। अब हिमाचल प्रदेश को **'सभी मौसमों और सभी कारणों के लिये गन्तव्य स्थल'** के रूप में जाना जाता है।

43. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण ने अभी तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भिन्न–भिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 14237 आवास व फ्लैट निर्मित किये हैं तथा 4083 प्लॉट विकसित किए हैं। अब 'हिमुडा' राज्य की आवश्यकताओं को संतुलित तरीके से पूरा करने के लिए आवास निर्माण के अपने मूल कार्य पर प्रयास केंद्रित करेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में 25 आवासों, 395 फ्लैटों, 431 प्लॉटों को विकसित करने तथा अन्य

विभागों के कार्यों के निष्पादन हेतु 133 करोड़ रूपये परिव्यय की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2010–11 में हिमुडा ने विभिन्न जगहों पर 25 आवास तथा 182 फ्लैट निर्मित किये और 55 प्लॉट भी विकसित किये।

44. भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग को भाषा, साहित्य और संस्कृति की क्षमता के अनुसंधान और विकास का कार्य सौंपा गया है। विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए अनुदान के रूप में 26.80 लाख रूपये प्रदान किए हैं। राज्य के ऐतिहासिक मंदिरों तथा स्मारकों की मुरम्मत के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इस वर्ष विभाग ने विभिन्न पुस्तकें प्रकाशित कीं तथा शिमला स्थित रानी झांसी पार्क में महारानी लक्ष्मी बाई की एक प्रतिमा स्थापित की है । विभाग राज्य के विभिन्न हिस्सों में भित्ति चित्रों के संरक्षण का कार्य भी कर रहा है।

45. वर्ष के दौरान राज्य में शांति बनी रही और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रही। हिमाचल सशस्त्र पुलिस और भारत तिब्बत पुलिस चम्बा जिला के जम्मू एवं कश्मीर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में उग्रवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिये तैनात है । सुरक्षा बलों द्वारा हर समय चौकसी रखी जा रही है ताकि उग्रवाद ग्रसित जम्मू एवं कश्मीर राज्य की उग्रवादी गतिविधियों से प्रदेष को सुरक्षित रखा जा सके । हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा आरम्भ की गई 'सामुदायिक पुलिस योजना' स्थानीय नागरिकों के सहयोग से प्रगति कर रही है और इसके माध्यम से शांति तथा सौहार्द बनाए रखने में सहायता मिली है।

46. हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण स्तर तक खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से खेल मैदानों व स्टेडियमों का निर्माण, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में तीन प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने जैसी विभिन्न योजनाएं आरम्भ की हैं। सितम्बर, 2010 में धर्मशाला में एक **राज्य स्तरीय महिला उत्सव** आयोजित किया गया, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए हमीरपुर में

राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई और नवम्बर, 2010 में बीड़ बिलिंग में पुरूषों तथा महिलाओं के लिए ओपन पैरा ग्लाईडिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई। राज्य तथा जिला स्तर पर मेजर ध्यान चंद की स्मृति में राज्य खेल दिवस भी आयोजित किया गया। खेल कोटे के तहत **256 खिलाड़ियों को नौकरियां** प्रदान की गईं हैं। **नकद पुरस्कार योजना** के अन्तर्गत उन **86 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 67 लाख रूपये** प्रदान किये गए जिन्होंने **राष्ट्रमंडल एवं एशियाई खेलें 2010** तथा अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गत वर्ष तथा इस वर्ष पदक जीते। **पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान** के अन्तर्गत मण्डी में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजित की गई जिसमें 16 वर्ष से कम आयु के 973 ग्रामीण लड़कों व लड़कियों ने 10 खेल स्पर्धाओं में भाग लिया। जिला सिरमौर के राजगढ़ में 25 से 27 फरवरी, 2011 तक **डा. वाई.एस. परमार मैमोरियल ऑल इंडिया वॉलीबाल चैंपियनशिप** आयोजित की गई।

47. युवा सेवाएं एवं खेल विभाग ने नोडल क्लब योजना, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, युवा उत्सव, युवा कार्य शिविर और युवा दिवस इत्यादि जैसी कई योजनाएं आरम्भ की हैं। वर्तमान वित्त वर्ष में एस.सी.एस.पी योजना के अन्तर्गत 250 खेल मैदान निर्मित किये जा रहे हैं तथा प्रत्येक खेल मैदान के निर्माण पर एक लाख रूपये व्यय किये जायेगें । राज्य के खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की गुणात्मक खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से दो सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, तीन वॉलीबाल टैराफलैक्स कोर्ट, चार हौवा बैडमिंटन कोर्ट निर्मित किये जा रहे हैं। इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर शिमला में 32 लाख रूपये की लागत से 10 मीटर की शूटिंग रेंज निर्मित की गई है।

48. हमीरपुर, धर्मशाला और मण्डी शहरों में 27 करोड़ रूपये की परियोजना लागत से 'छोटे तथा मध्यम शहरों के लिए बनाई गई शहरी अधोसरंचना विकास योजना' के अन्तर्गत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, नालों का तटीकरण, वर्शा जल निकासी, मल निकासी एवं सड़कों को चौड़ा करने

इत्यादि का कार्य किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों के गरीबों के सशक्तिकरण के उद्‌देश्य से **स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना** के अंतर्गत स्वरोजगार कार्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिस हेतु वर्ष 2010–11 में दो लाख रूपये व्यय किए जायेगें । शहरी मलिन बस्तियों के पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को 294 लाख रूपये प्रदान किये गये हैं जिससे यहां रहने वाले 3600 परिवारों को सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनक जीवन स्तर में सुधार लाया जायेगा।

49. ग्रामीण क्षेत्रों का विकास प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरी सरकार बी.पी.एल परिवारों को आवास निर्माण के लिए उपदान उपलब्ध करवा रही है और **'अटल आवास योजना'** के अंतर्गत इस वित्त वर्ष से उपदान राशि को 38,500 रुपये से बढ़ाकर 48,500 रुपये किया गया है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 5793 तथा अटल आवास योजना के अंतर्गत 4138 नई आवास इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए इस वित्त वर्ष क्रमशः 28.10 करोड़ रुपये तथा 20.07 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है।

50. एकीकृत जल प्रबन्धन परियोजना के अंतर्गत 2,37,650 हैक्टेयर क्षेत्र के विकास हेतु 356.47 करोड़ रुपये की कुल लागत की 44 नई परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। सरकार इस वर्ष के अंत तक सभी ग्राम पंचायतों को बाह्‌य शौचमुक्त बनाने के शत–प्रतिशत लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयासरत है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान से जुड़ी विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के लिए प्रदेश सरकार ने 4.12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया हैं। प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप अब तक राज्य की 688 ग्राम पंचायतें भारत सरकार से निर्मल ग्राम पुस्स्कार प्राप्त करने में सफल रही है । इस वित्त वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर,2010 तक 'मनरेगा' के अंतर्गत 391 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई तथा 120 लाख श्रमदिवस सृजित किए गए और 3,29,215 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

51. मेरी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने को उच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और ग्राम स्तर पर विकास प्रक्रिया को गति प्रदान करने के उद्‌देश्य से उन्हें अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। यह हम सब के लिये गर्व का विषय है इन संस्थाओं में 57.46 प्रतिशत सीटो पर महिलाएं चुनकर आई हैं। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए वृहद् योजना तैयार की गई है तथा प्रशिक्षण कार्य आरंभ कर दिया गया है।

52. पंचायत घर निर्मित करने के लिये निर्माण लागत 2 लाख रूपये से बढ़ाकर 3.40 लाख रूपये की गई है। गत तीन वित्तीय वर्षों में 366 नये पंचायत घरों के निर्माण के लिये 3.40 लाख रूपये प्रति पंचायत घर तथा 730 पंचायत घरों की मुरम्मत के लिये 1 लाख रूपये प्रति पंचायत घर उपलब्ध करवाये गए हैं । पंचायत सहायकों का मासिक पारिश्रमिक 3120 रूपये से बढ़ाकर 5910 रूपये किया गया है। राज्य सरकार ने पंचायत सहायकों के 165 नए पद स्वीकृत किए हैं। गत तीन वर्षों में 1132 पंचायत सहायकों को पंचायत सचिव के रूप में नियुक्ति दी गई है। पंचायत समितियों में कनिष्ठ अभियंताओं के 187 पद अनुबंध के आधार पर भरे गये हैं। तकनीकी मार्गदर्शन के लिये ग्राम पंचायतों में 1069 तकनीकी सहायक नियुक्त किये गये हैं।

53. मेरी सरकार ने कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध जारी रखे तथा कर्मचारियों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया गया। राज्य सरकार ने मार्च तथा नवम्बर 2010 में नियमित कर्मचरियों को संशोधित वेतनमानों की बकाया राषि 10–10 हजार रूपये की दो किस्तों में, पैंशनरों को पैंशन, लीव ईनकैषमेन्ट व ग्रेच्यूटी की बकाया राषि का 10–10 प्रतिषत दो किस्तों में भुगतान किया गया। कर्मचारियों व पैंशनरों को महगांई भत्ते की दो किस्ते, एक जनवरी 2010 से 8 प्रतिशत की दर से तथा एक जुलाई 2010 से 10 प्रतिशत की दर से,जारी की गई । पहली अक्तूबर, 2010 से दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 110 रूपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 120 रूपये प्रतिदिन

की गई है तथा अंशकालिक कामगारों का पारिश्रमिक 14.50 रूपये प्रति घंटे से बढ़ाकर 16 रूपये प्रति घंटा किया गया है।

54. प्रशासनिक सुधार संगठन माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में सभी विभागों की समीक्षा समन्वित करवा रहा है ताकि विभागों के दैनिक कार्यकलापों में सुधार सुनिष्चित हो सके तथा समस्त विभाग सरकार की समग्र प्राथमिकताओं के अनुसार उद्देश्यपूर्ण कार्य करे । सचिवालय स्तर पर सभी विभागों की **'प्रषासन में दक्षता'** की त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जा रही है ताकि निर्णायक संकेतकों की समीक्षा तथा निश्कर्श पर ध्यान दिया जा सके । मेरी सरकार ने ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना आरम्भ की है जो जनसेवा के उच्च मापदण्ड स्थापित करते हैं।

55. मैंने अपनी सरकार की उपलब्धियों का संक्षेप में विवरण दिया है। गत तीन वर्षों में वर्तमान सरकार ने राज्य में विकास को नई दिशा देने के प्रयास किए हैं। मेरी सरकार का यह विनिष्चित प्रयास रहा है कि विकास की गति को न केवल तेज़ किया जाए बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विकास व्यापक हो। हमने गरीब, उपेक्षित एवं समाज के कमज़ोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक न्याय को सुनिश्चित बनाने के लिए नीतिगत निर्णय लिए हैं। 30 दिसम्बर, 2007 को वर्तमान सरकार द्वारा सत्तासीन होने के पश्चात् राज्य में तीव्र समग्र विकास हुआ है तथा सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों से आम आदमी का हित सुनिश्चित करने के लिए पग उठाए गए हैं। इसके दृष्टिगत सरकार ने अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं आरम्भ की, जिन्हें अक्षरशः लागू किया गया। **'सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य'** मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं तथा **स्वरोजगार, स्वाबलम्बन एवं स्वाभिमान** मेरी सरकार के मार्गदर्शक उद्देश्य हैं,जिससे हिमाचल प्रदेश को देश का **'आदर्श राज्य'** एवं **'सबसे ऊपर हिमाचल'** बनाया जायेगा ।

56. इन शब्दों के साथ मैं अपने अभिभाषण को समाप्त करना चाहूंगी। मुझे विष्वास है कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बजट सत्र के दौरान विचार–विमर्श में भाग लेकर

अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे, जो राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने में सहायक होंगे।

जय हिन्द, जय हिमाचल